

अशोक कुमार | Ashok Kumar
सी.ई.ओ. | CEO

सन्दर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई/2023

दिनांक: 06.11.2023

सेवा में,

श्री रामेश्वर पुत्र स्व. रघुनंदन सिंह,
निवासी अच्छेजा, तहसील हापुड,
जिला हापुड (उ. प्र.), मो. न. 9899955509

विषय : आपके आर. टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से आपने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत बिंदु न. 1 से 7 तक की जानकारी मांगी है । इस अनुसार आपको निम्न बिंदुवार सूचित किया जाता है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गयी जानकारी
1	खसरा संख्या 37, 41, 42, 43 में खम्बे फाउंडेशन खुदाई तैयार होने की तारीख अलग अलग चारों में प्रदान की जाये	फाउंडेशन का कार्य उपरोक्त खसरो में इन माह में किया गया था:- खसरा संख्या 37 - फरवरी 2022 खसरा संख्या 41 - जून 2022 खसरा संख्या 42 - जून 2022 खसरा संख्या 43 - मई एवं जून 2022
2	खम्बों पर किस तारीख को लाइन इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य शुरू हुआ किस तारीख को पूर्ण हुआ, चारों में किस तारीख से शुरू हुआ, किसमय पूरा किया गया	इरेक्शन का कार्य उपरोक्त खसरो में इन माह में किया गया था: - खसरा संख्या 37 - मई 2022 खसरा संख्या 41 - सितम्बर 2022 खसरा संख्या 42 - सितम्बर 2022 खसरा संख्या 43 - सितम्बर 2022



		<p>स्ट्रिंगिंग का कार्य उपरोक्त खसरो मे इन माह मे किया गया था: -</p> <p>खसरा संख्या 37 - अक्टूबर 2022</p> <p>खसरा संख्या 41 - अक्टूबर व नवंबर 2022</p> <p>खसरा संख्या 42 - अक्टूबर व नवंबर 2022</p> <p>खसरा संख्या 43 - अक्टूबर व नवंबर 2022</p>
3	जवार बाजरा सरसो गन्ना गेहू धान की फसल का मुआवजा प्रति वर्ग मीटर किस हिसाब से दिया जाता है।	जिला कृषि अधिकारी / उद्यान अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन रिपोर्ट एवं फसलों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाता है
4	तहसील हापुड़ की फसल नुक्सान का सत्यापन पैमाइश की आख्या उपरोक्त चारो खसरो की छाया प्रति उपलब्ध कराये	यह सार्वजनिक दस्तावेज की श्रेणी मे नहीं आता है एवं आपसे सम्बंधित नहीं है।
5.	खसरा नंबर 41 मे जगदीश, सीताराम, रामावतार, रामकुमार, रामेश्वर, मूलचंद फाउंडेशन नुक्सान राशि अलग अलग कितने वर्ग मीटर पर कितनी धनराशि दी गयी तथा लाइन इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग मे कितने कितने वर्ग मीटर की कितनी कितनी धनराशि अदा की गयी अलग अलग	उक्त खसरा नंबर 41 के मुआवजा वितरण की सारी जानकारी आपकी पिछली RTI के जवाब पत्र संख्या PMSTL/RTI/2023/32(दिनांक - 13.09.2023) मे दी जा चुकी है।
6.	खसरा संख्या 43 मे रामेश्वर व मूलचंद के हिस्से मे ईख बोर्ड मिली जिसकी पैमाइश लेखपाल / विद्युत् विभाग अधिकारी के सामने की गयी, मूलचंद को किस कारन नहीं दिया गया है।	मूलचंद जी से सम्बंधित कोई नोटिस हमारे रिकॉर्ड मे नहीं पाया गया है।
7.	खसरा नंबर 41 मे फाउंडेशन का गेहू की फसल का नुक्सान शिवकुमार त्यागी को दिया गया तोह जगदीश, सीताराम, रामावतार, रामकुमार,	उक्त सभी को कोई फसल का मुआवजा नहीं दिया गया है।

A

रामेश्वर, मूलचंद को किस फसल का फाउंडेशन नुकसान दिया गया।	
---	--

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,

कार्यकारी निदेशक (उ.क्षे. 1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ.क्षे. 1. मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद, हरियाणा-121002, फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय



(अशोक कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक/सी.ई.ओ. एवं
पदनामित सी. पी. आई ओ, पी. एम.एस.टी. एल,
मेरठ, फोन.न.